



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 20.02.2023

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी हिरासत में, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद:-

दिनांक 19.02.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर 01 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बाल आपचारी:-

बरामदगी का विवरण:-

1. फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेंडर प्लस (फर्जी नंबर प्लेट यूपी-17एल-9528)

पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री सागर सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2. है०का० राहुल कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3. का० अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद:-

दिनांक 19.02.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस सूचना पर 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो बताया कि उक्त मोटरसाइकिल झिंझाना क्षेत्र से चोरी की थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शोएब पुत्र यासीन निवासी ग्राम मोहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी की 01 मोटरसाइकिल एच0एफ0 डीलक्स नं0 UP-19J-2269 (चैसिस नं0 MBLHAC023J9M09738 व इंजन नं0 HA11EMJ9M16163 सम्बन्धित मु0अ0सं0 244/22 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली)

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मु0अ0सं0 244/22 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री राधेश्याम भारती थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.का0 विकास मलिक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.का0 नीरज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपद के थानों द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 11 वारंटी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 19/20.02.2023 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 11 वारंटी/वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. ओमप्रकाश पुत्र मुरारी लाल निवासी ग्राम कुडाना थाना कोतवाली शामली।
2. काला उर्फ रवि पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सहपत थाना कैराना जनपद शामली।
3. साबिर पुत्र जहांगीर उर्फ जागीर निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।
4. सोनू उर्फ सुऐब पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
5. इमरान पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
6. तालिब पुत्र बुल्ला उर्फ युसुफ निवासी थाना कैराना जनपद शामली।
7. जाहिद पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम उदपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
8. बाबूराम पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
9. सेटू पुत्र बलजीत निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।
10. पप्पू पुत्र रोशन निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिंझाना जनपद शामली।
11. कृष्णपाल पुत्र लचकू निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन/बिना अनुमति चुनावी सभा करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया ।

वर्ष 2014 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त करतार सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी जागृती विहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान चुनावी आचार संहिता लागू होने के उपरान्त बिना अनुमित ग्राम बुटराडा में चुनावी सभा करने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 114/2014 धारा 188 भादवि में पंजीकृत किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 20.02.2023 को माननीय न्यायालय CJSJ/ACJM कैराना शामली द्वारा धारा 188 भादवि में 01 माह के साधारण कारावास व 100 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. करतार सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी जागृती विहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ